

# कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/समान परीक्षा(7)/22402/2014-24/ दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक,  
स्कूल शिक्षा।

**विषय :-** राज्य स्तरीय समान परीक्षा के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.09.2024 द्वारा समान परीक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों की निरन्तरता में समान परीक्षा (कक्षा 9 से 12 की अर्द्धवार्षिक एवं कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा) के आयोजन के संबंध में अर्द्धवार्षिक परीक्षा की समय-सारणी संलग्न कर निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं—

**(अ) समय सारणी :-**

- समान परीक्षा वर्ष 2024-25 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा आयोजन की अवधि दिनांक : 12.12.2024 से 27.12.2024 तक आयोजित की जायेगी।
- समान परीक्षा वर्ष 2024-25 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा आयोजन की अवधि दिनांक : 17.12.2024 से 27.12.2024 तक संलग्न समयसारणी के अनुसार आयोजित की जायेगी। जो भी विषय उक्त समयसारणी में उल्लेखित नहीं है उनकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जावेंगी।
- समान परीक्षा वर्ष 2024-25 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा में दिनांक : 12.12.2024 से दिनांक : 16.12.2024 तक विद्यालय स्तर की परीक्षायें व प्रायोगिक विषयों की परीक्षायें आयोजित की जायेगी।
- पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षायें द्वारा प्रश्न पत्र छपवाने के पश्चात जिला स्तर पर सीधे पहुँचायें जायेंगे।
- विगत वर्षों की भांति अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार जिन जिलों द्वारा प्रश्न पत्रों के पैकेट्स का वितरण सीधे ही ब्लॉक स्तर पर किया जाता है वहां उक्तानुसार ही पैकेट्स का वितरण किया जायेगा तथा जिन जिलों में सीधे ही पैकेट्स को विद्यालय स्तर पर सीधे ही वितरित कर दिया जाता है वहां पूर्वानुसार ही पैकेट्स का वितरण विद्यालय स्तर पर किया जायेगा।
- परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व प्रश्न पत्र जिला स्तर पर पहुँचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक का होगा एवं उसके समुचित प्रबोधन की कार्यवाही सम्बन्धित संयुक्त निदेशक द्वारा की जायेगी।
- परीक्षा तिथि से 02 दिन पूर्व प्रश्न पत्र ब्लॉक स्तर पर पहुँचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का होगा एवं उसके समुचित प्रबोधन की कार्यवाही सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक द्वारा की जायेगी।

- परीक्षा तिथि से 01 दिन पूर्व प्रश्न पत्र पीईईओ स्तर पर पहुँचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व सम्बन्धित पीईईओ का होगा एवं उसके समुचित प्रबोधन की कार्यवाही सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- उपर्युक्त बिन्दुओं में उल्लेखित अधिकारियों के दायित्व निर्धारण के पश्चात किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

**(ब) प्रश्न पत्रों की सुरक्षा :-**

- प्रश्न पत्रों के निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई भी सन्देश/गतिविधि सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में सम्बन्धित संयुक्त निदेशक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जायेंगे।
- निजी विद्यालयों के प्रश्न पत्रों को सम्बन्धित यूसीईईओ/पीईईओ के पास रखा जायेगा।
- सुरक्षा व्यवस्था के मध्यनजर प्रश्न पत्र यथा संभव पुलिस थाने में रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी। अपरिहार्य स्थिति में यदि प्रश्न पत्र पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालयों में रखे जाते हैं तो राउण्ड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाने तथा रात्रि कालीन ड्यूटी लगायी जाना सुनिश्चित किया जावे।
- सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक को यह निर्णय लेने हेतु अधीकृत किया जाता है कि प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने में रखा जाना है अथवा पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालयों में।
- प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत सम्बन्धित संयुक्त निदेशक द्वारा अधीनस्थ पीईईओ/यूसीईईओ को सवेदशील प्रशिक्षण प्रदान किया जावे।
- सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय के कार्यभार का दायित्व जिस कार्मिक के पास होगा, उसी कार्मिक को परीक्षा के आयोजन के दौरान प्रभारी/केन्द्राधीक्षक बनाया जायेगा।
- अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के दौरान सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/डाइट प्राचार्य द्वारा उड़नदस्ते गठित कर परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया जावे।
- परीक्षा आयोजन के दौरान जिला/ब्लॉक कार्यालय स्तर पर आरक्षित प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा आरक्षित प्रश्न पत्रों को भी सम्बन्धित पुलिस थानों में रखवाया जायेगा।

**(स) प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु वित्तीय प्रबंधन :-**

- प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु आवश्यक राशि के प्रबंधन बाबत सत्र 2024-25 की समान परीक्षा हेतु प्रति विद्यार्थी रु 20/- का परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है।
- उपर्युक्त निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार वार्षिक परीक्षा हेतु शुल्क एकत्रित किया जा सकता है।
- समस्त संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में पूर्व संचालित जिला समान परीक्षा समितियों के माध्यम से उक्त शुल्क संग्रहण कर पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षायें, बीकानेर



के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसकी विद्यालयवार सूचना भी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षायें, बीकानेर को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में नियमानुसार, समयबद्ध रूप से गोपनीय व शांतिपूर्वक परीक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा/गोपनीयता बनाए रखने हेतु समस्त कार्य जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जावें। इस हेतु जिला स्तर पर प्रश्न पत्र प्राप्त होने से पूर्व जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन संबंधित जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में करवाया जाकर बैठक में लिए गए निर्णयों की पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

**संलग्न:-** अर्द्धवार्षिक परीक्षा समयसारणी।

(आशीष मोदी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

**प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर (जरिये ई-मेल)।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर (जरिये ई-मेल)।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (जरिये ई-मेल)।
5. समस्त जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को प्रश्नपत्रों को पुलिस थानों में रखने की व्यवस्था हेतु (जरिये ई-मेल)।
6. उपनिदेशक, माध्यमिक को शिविरा पंचाग में संशोधन हेतु।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत (जरिये ई-मेल)।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा (जरिये ई-मेल)।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं सन्देश जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत (जरिये ई-मेल)।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को पालनार्थ (जरिये ई-मेल)।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ (जरिये ई-मेल)।
12. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
13. समस्त संस्था-प्रधान।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ashish  
Modi

Designation : Director

Date :26-11-2024 05:17:55

राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना  
अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2024-25  
समय विभाग चक्र

क्र.सं.	दिनांक	पारी एवं दिनांक	कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 11	कक्षा 12
1	17.12.2024 मंगलवार	प्रथम पारी (09:30 एम से 12:45 पीएम)	अंग्रेजी		अनिवार्य अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य
		द्वितीय पारी (01:15 पीएम से 04:30 पीएम)		अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य	अनिवार्य अंग्रेजी
2	18.12.2024 बुधवार	प्रथम पारी (09:30 एम से 12:45 पीएम)	विज्ञान		अनिवार्य हिन्दी	अर्थशास्त्र
		द्वितीय पारी (01:15 पीएम से 04:30 पीएम)		विज्ञान	अर्थशास्त्र	अनिवार्य हिन्दी
3	19.12.2024 गुरुवार	प्रथम पारी (09:30 एम से 12:45 पीएम)	हिन्दी		हिन्दी साहित्य/उर्दू साहित्य/सिन्धी साहित्य/भौतिक विज्ञान/लेखाशास्त्र/पंजाबी साहित्य/राजस्थानी साहित्य	समाजशास्त्र
		द्वितीय पारी (01:15 पीएम से 04:30 पीएम)		हिन्दी	समाजशास्त्र	हिन्दी साहित्य/उर्दू साहित्य/सिन्धी साहित्य/भौतिक विज्ञान/लेखाशास्त्र/पंजाबी साहित्य/राजस्थानी साहित्य
4	20.12.2024 शुक्रवार	प्रथम पारी (09:30 एम से 12:45 पीएम)	सामाजिक विज्ञान		कृषि रसायन/रसायन विज्ञान/व्यावसायिक अध्ययन/इतिहास	लोक प्रशासन
		द्वितीय पारी (01:15 पीएम से 04:30 पीएम)		सामाजिक विज्ञान	लोक प्रशासन	कृषि रसायन/रसायन विज्ञान/व्यावसायिक अध्ययन/इतिहास
5	21.12.2024 शनिवार	प्रथम पारी (09:30 एम से 12:45 पीएम)	पंजाबी/ संस्कृत/ उर्दू/ सिन्धी		ऐच्छिक गणित	भूगोल
		द्वितीय पारी (01:15 पीएम से 04:30 पीएम)		पंजाबी/ संस्कृत/ उर्दू/ सिन्धी	भूगोल	ऐच्छिक गणित
6	22.12.2024 रविवार (अवकाश)					
7	23.12.2024 सोमवार	प्रथम पारी (09:30 एम से 12:45 पीएम)	राजस्थान की शौर्य परम्परा		कृषि जीव विज्ञान/जीव विज्ञान/राजनीति विज्ञान / टंकण- अंग्रेजी	
		द्वितीय पारी (01:15 पीएम से 04:30 पीएम)		राजस्थान की शौर्य परम्परा		कृषि जीव विज्ञान/जीव विज्ञान/राजनीति विज्ञान / टंकण- अंग्रेजी

8	24.12.2024 मंगलवार	प्रथम पारी (09:30 एम से 12:45 पीएम)	गणित		संस्कृत साहित्य/कृषि विज्ञान	चित्रकला/ टंकण- हिन्दी
		द्वितीय पारी (01:15 पीएम से 04:30 पीएम)		गणित	चित्रकला/ टंकण- हिन्दी	संस्कृत साहित्य/कृषि विज्ञान
9	25.12.2024 बुधवार (अवकाश)					
10	26.12.2024 गुरुवार	प्रथम पारी (09:30 एम से 12:45 पीएम)	स्वास्थ्य शिक्षा		कम्प्यूटर विज्ञान	गृह विज्ञान
		द्वितीय पारी (01:15 पीएम से 04:30 पीएम)		स्वास्थ्य शिक्षा	गृह विज्ञान	कम्प्यूटर विज्ञान
11	27.12.2024 शुक्रवार	प्रथम पारी (09:30 एम से 12:45 पीएम)	सूचना व प्रौद्योगिकी की अवधारणा	सूचना व प्रौद्योगिकी की अवधारणा	आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास	आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास
		द्वितीय पारी (01:15 पीएम से 04:30 पीएम)				

-आवश्यक निर्देश-

- 1 प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाये रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।
- 2 संस्था प्रधान प्रश्न पत्रों को खोलने से पूर्व परीक्षा कार्यक्रम से मिलान के पश्चात ही प्रश्न पत्रों का वितरण करावें।
- 3 यदि किसी कारणवश राज्य सरकार द्वारा परीक्षा अवधि में अवकाश घोषित किया जाता है तो उस दिन की परीक्षा, परीक्षा समाप्ति की तिथि के बाद अग्रिम कार्य दिवस वाली तिथि में करवाई जावेगी।
- 4 जो विषय परीक्षा कार्यक्रम में नहीं दिखाये गये हैं उनके प्रश्न पत्रों की व्यवस्था संस्था प्रधान स्वयं अपने स्तर पर करेंगे।
- 5 कक्षा 11 में जीवन कौशल विषय के 30 अंक का सतत् मूल्यांकन, 30 अंक का प्रोजेक्ट एवं 40 अंक की वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। इसकी अर्द्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी।